



कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

- II प्रारंभिक अधिसूचना II -

क्रमांक / 5537/भू-अर्जन/2026

कोरबा, दिनांक 20/05 2026

क्रमांक 201806050400030/अ-82/2017-18- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प. ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरबा	हरदीबाजार	उतरदा / 11	1724	0.040	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोरबा	लोटनापारा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर दायीं तट एवं बायीं तट शाखा नहर निर्माण
			1725	0.004		
			1720/1	0.049		
			1723/2	0.057		
			1718	0.040		
			1709	0.238		
			1685/2	0.004		
			1717/1	0.024		
			1716/1	0.008		
			1678/2	0.024		
			1599/5	0.097		
			1062/3	0.032		
			1714/1	0.061		
			1714/2	0.008		
			1714/3	0.045		
			1642/1	0.053		
			1642/2	0.020		
			1642/3	0.032		
			1711/3	0.036		
			1710	0.036		
			1685/1	0.045		
			1687/1	0.040		
			1647/1	0.085		
1689/2च/1	0.020					
1644/4	0.049					
1644/3	0.036					
1644/2	0.036					
1643/2	0.004					
1643/4	0.008					
1643/3	0.008					
1643/5	0.008					
1644/5	0.028					

			2216	0.073
			1641/2	0.085
			2214	0.036
			1639/2	0.008
			1640	0.028
			2218	0.032
			37/2, 38	0.154
			39	0.045
			2220	0.081
			2217	0.028
			2219	0.004
			2224/9	0.049
			2224/23	0.100
			2224/12	0.016
			1333/6	0.089
			2224/3	0.061
			1165/4	0.040
			1159/3	0.077
			2226/2	0.061
			1091	0.045
			2228	0.065
			2229/1	0.020
			2229/2	0.089
			2229/4	0.040
			1323	0.101
			2235	0.016
			2326/1	0.129
			1316/3	0.040
			2328/2	0.138
			1319	0.008
			1332/1	0.004
			1335	0.040
			2331/2	0.049
			1336/2	0.032
			1310/3	0.024
			1334	0.028
			1153	0.004
			1093/1	0.069
			1082/2	0.061
			1080	0.012
			1079	0.040
			1076/2	0.069
			1158/5	0.065
			1072/1	0.028
			1069	0.049
			1068	0.012
			1067/2	0.036
			1159/2	0.121
			1310/2	0.032
			1063	0.008
			1157	0.065
			41/6	0.016

	40/2	0.049
	37/1	0.121
	2099/28	0.049
	2099/16	0.040
	2099/21	0.061
	2099/24	0.040
	2099/4	0.049
	2099/15	0.141
	2099/14	0.069
	2099/22	0.081
	2099/9	0.040
	2099/19	0.028
	2099/8	0.073
	2099/11	0.008
	2099/1	0.032
	2100	0.016
	2103	0.165
	2114/6	0.061
	2114/7	0.036
	2114/8	0.012
	2121/2	0.016
	2121/3	0.020
	2121/6	0.020
	2122	0.081
	2119	0.105
	2124	0.121
	2135/3	0.081
	1677/1	0.057
	2127/1	0.028
	2127/2	0.036
	2126/2	0.049
	1729	0.093
	1728/1	0.036
	1681/2	0.053
	1726/2	0.101
	1679/1	0.045
	1620	0.057
	1316/2	0.242
	1320	0.016
	1677/2	0.024
	1667	0.061
	1600	0.145
	1664/1	0.306
	1601	0.105
	1603/1	0.012
	1602/1	0.133
	1716/2	0.036
	1599/2	0.028
	1597	0.008
	1322	0.077
	1598/2	0.077
	1309/1	0.097

			1309/2	0.036
			1321/1	0.028
			1317/2	0.061
			1310/4	0.101
			1156/1	0.073
			1156/2	0.177
			1156/3	0.073
			1164/5	0.161
			1599/10	0.004
			1318	0.028
			1317/3,1317/4	0.097
			1165/6	0.028
			2414/1	0.061
			2413/1	0.053
			1165/3	0.024
			2414/2	0.040
			2331/3	0.024
			2332/1	0.012
			2331/4	0.032
			2331/5	0.040
			2331/6	0.045
			2331/7	0.057
			1642/4	0.069
			1321/2	0.057
			1143/1	0.053
			1143/2	0.053
			1143/3	0.052
			1143/4	0.052
			1092	0.024
			1726/1	0.045
			1599/4	0.028
			1647/3	0.049
			2216/2	0.028
			1599/3	0.012
			1599/9	0.028
			1321/2	0.085
		योग:-	172	9.324


2. यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।


5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है।



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली
जिला- कोरबा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर

एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग